कायालय

उप निदेशक (निर्माण)

## राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0 प्र0

दरगाह रोड कल्पीपारा बहराइच

पत्रांकः–उ0नि0(नि0)/न0/2011:–199 दिनॉकः–29-6-2011

### अल्प कालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु दिनॉक 19–7–2011 को मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से 3:00 बजे अपरान्ह तक सील बन्द निविदायें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 3:30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा दिनॉक 18–7–2011 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के साथ–2 उप निदेशक(प्रशासन) मण्डी परिषद फैजाबाद व भारतीय स्टेट बैंक शाखा दरगाह बहराइच से भी प्राप्त की जा सकती है।

| क0सं0 | कार्यों के नाम | निविदा शुल्क+व्यापार कर | धरोहर धनराशि रू0 लाख | कार्य पूर्ण करने की अवधि | पंजीकृत श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (अ) | मण्डी समिति बहराइच के क्षेत्रान्तर्गत | | | | |
| 1 | उप मण्डी स्थल मरौचा में 10 नग 'स' श्रेणी की दुकानों का निर्माण एवं 02 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की आपूर्ति/स्थापना का कार्य। | 1000+ 13.5% | 0.50 लाख | 04 माह | ''द'' श्रेणी |
| 2 | उप मण्डी स्थल मरौचा में 01 नग 6 X 40 मी0 नीलामी चबूतरा (शेड एवं सिविल) का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य। | 500+ 13.5% | 1.50 लाख | 04 माह | ''द'' श्रेणी |
| (ब) | मण्डी समिति नानपारा के क्षेत्रान्तर्गत | | | | |
| 3 | उप मण्डी स्थल शिवपुर में 10 नग 'स' श्रेणी की दुकानों का निर्माण एवं 02 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की आपूर्ति/स्थापना एवं अन्य विकास कार्य। | 1000+ 13.5% | 2.85 लाख | 04 माह | ''द'' श्रेणी |
| 4 | उप मण्डी स्थल शिवपुर में 01 नग 6 X 40 मी0 नीलामी चबूतरा (शेड एवं सिविल) का निर्माण कार्य। | 500+ 13.5% | 1.00 लाख | 04 माह | ''द'' श्रेणी |
| (स) | मण्डी समिति मिहींपुरवा के क्षेत्रान्तर्गत | | | | |
| 5 | उप मण्डी स्थल बोझिया में 10 नग 'स' श्रेणी की दुकानों का निर्माण एवं 02 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की आपूर्ति/स्थापना एवं अन्य विकास कार्य। | 1000+ 13.5% | 2.85 लाख | 04 माह | ''द'' श्रेणी |
| 6 | उप मण्डी स्थल बोझिया में 01 नग 6 X 40 मी0 नीलामी चबूतरा (शेड एवं सिविल) का निर्माण कार्य। | 500+ 13.5% | 1.00 लाख | 04 माह | ''द'' श्रेणी |

नियम व शर्तें:–

1. परिषद पत्रांकः–मु0अभि0/(निविदा–3768)/2007–4410 दिनॉक 21–2–07 एवं शासनादेश संख्या–6738/23–7–06–176 (संख्या/06 दिनॉक 05–1–2007 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कम में जिलाधिकारी स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र टी–4, हैसियत प्रमाण–पत्र टी–5 एवं नोटरी द्वारा सत्यापित स्वघोषणा शपथ पत्र टी–6 निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा की एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत ही मान्य होगी।
3. कम संख्या अ–1 की निविदा अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों हेतु आरक्षित है।
4. निविदा की दरें भरते समय ठेकेदार को नोटरी शपथ पत्र पर यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास वर्तमान में कितनी धनराशि के कार्य आवंटित हैं।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को 2 प्रतिशत की जमानत धनराशि टेण्डर के समय तथा 8 प्रतिशत धनराशि की कटौती चालू देयकों से की जायेगी।
6. शेड कार्य की निविदा उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत की जायेगयी जिनकी अपनी स्वयं की शेड बनाने की फक्ट्री हो एवं यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 में पंजीकरण भी हो।
7. निविदा की अन्य शर्तें एवं विवरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पढी एवं देखी जा सकती हैं।
8. निविदा विभागीय वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डोट यू0पी0 मण्डी परिषद डाट इन पर भी उपलब्ध हैं।

29/06/11

उप निदेशक(निर्माण)

प्रकाशन हेतु नहीं

नियम व शर्तें

1. निविदा प्रपत्र रू0 55.00 (डाक व्यय अतिरिक्त) देने पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है, निविदा समय से प्राप्त न होने पर कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर तथा रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
3. निविदा समिति द्वारा निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
4. निविदा क्रय करते समय निविदा क्रय करने वाले व्यक्ति को फर्म की पार्टनरशिप डीड प्रस्तुत करनी होगी तथा निविदा क्रय करने वाले व्यक्ति को पार्टनर होना भी अनिवार्य होगा। व्यक्ति विशेष परिषद के जिस निर्माण खण्ड में पंजीकृत हो वहाँ के उप निदेशक (निर्माण) के अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर पंजीकरण की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।
5. वाणिज्य/आयकर की कटौती भुगतान किये जा रहे बिल से नियमानुसार की जायेगी।
6. वैट के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी शासनादेश के अन्तर्गत की जायेगी।
7. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध गठन करने से पूर्व स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अनुसार कोषागार से निर्गत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने पर ही मान्य होंगे।
8. अन्तिम देयक से पूर्व कराये गये निर्माण कार्य का मण्डी समिति को हस्तानान्तरण का दायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
9. निविदा उन्ही ठेकेदारों को निर्गत की जायेगी जो नये पंजीकरण नियमावली एवं समय समय पर जारी किये जा रहे पंजीकरण निर्देशिका के अनुसार पात्र होंगे।
10 निविदा की वैधता निविदा खुलने के तीन माह तक होगी।
11. यदि फर्म/ठेकेदार द्वारा एक कार्य की एक से अधिक निविदा डाली जाती है तो उसकी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. निविदादाता निविदा में भरी दरों को प्रतिशत के पूर्णांक दशमलव के तीन अंकों तक ही गणना की जायेगी। दशमलव के बाद तीन अंकों (0 से) से अधिक को अगला पूर्णांक मानते हुए निविदा की दरों की गणना की जायेगी। निविदा की दरों में दशमलव से पूर्व जीरो अंकित न होने से प्रतिशत के मध्य दर पर शब्दों में भरी न होने पर निविदा को अवैध माना जायेगा।
13. परिषद पत्रांकः-मु0अभि0/निविदाएं/2000-4624 दिनॉक 10-10-2000 के क्रम में निविदा खरीदनें हेतु निर्धारित प्रारूप पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा निर्गत की जायेगी।
14. 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक कम दरों पर प्राप्त निविदाएं स्वीकार होने के पश्चात निर्माण कार्य की देयता का अन्तिम जॉच हेतु गठित समिति से जॉचोपरान्त गुणवत्ता प्रमाणित होने पर ही किया जायेगा।
15. सी0सी0 रोड के निर्माण कार्य में मिक्सर एवं सरफेश वाइब्रेटर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
16. टेण्डर में किसी प्रकार का निगोशिएशन नहीं किया जायेगा, टेण्डर खुलने के बाद प्राप्त दरों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।
17. निविदा भरते समय निविदा की सम्पूर्ण मदों को भली भॉति पढ लें, सशर्त निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
18. अनुबन्ध गठित करते समय सम्बन्धित फर्म/ठेकेदारों को पैन नम्बर देना अनिवार्य होगा।
19. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा मान्य नहीं होगी तथा उसे खोला नहीं जायेगा।
20. अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के सापेक्ष कार्य की प्रगति सन्तोषजनक न होने पर यथा आवश्यक जुर्माना लगाया जायेगा।
21. कार्य की मदें या मात्राएं निविदा स्वीकृत के पूर्व या बाद में घटाने या बढाने का पूर्ण अधिकारी सक्षम अधिकारी का होगा।
22. अनुबन्ध की लागत के अतिरिक्त कोई भी कार्य जोडा जायेगा तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी अलग से देय होगी। कार्य समाप्ति की अवधि तक यदि शासन/परिषद स्तर से लागू की जाती है तो उसकी कटौती अन्तिम भुगतान से की जायेगी।
23. निविदा क्रय करते समय ही फर्म/ठेकेदार को निर्धारित धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 (01-4-10 के बाद की) प्रस्तुत करनी होगी, जो उप निदेशक (निर्माण) बहराइच के नाम बन्धक होगी।
24. निविदा दरें भरते समय ठेकेदार को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास वर्तमान में कितनी धनराशि के कार्य आवंटित हैं। यह नोटरी शपथ पत्र पर देना होगा।
25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 'अ' 'ब' 'स' 'द' श्रेणी के कार्यों में 2 प्रतिशत जमा धनराशि टेण्डर के समय तथा 8 प्रतिशत की धनराशि चालू देयकों से कटौती की जायेगी, शेष अन्य वर्गों हेतु पूर्ववत् व्यवस्थ लागू रहेगी।
26. शासनादेश सं0 4435/छः पु0 14 06 50(07)2006 दिनॉक 2 11 2006 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र/हैसियत प्रमाण-पत्र/रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर, घोषणपत्र (टी 4,टी 5,टी 6) मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

27. कार्य आवंटित होने के 60 दिन के अन्दर ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा प्राधिकृत लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) धनराशि नियमानुसार कटौती की जायेगी।
28. शासनादेश संख्या 6738/23 7 2 2006 176 (सा0)/06 दिनॉक 5 1 2007 के अनुसार 40 लाख से अधिक कार्यों हेतु 5% धरोहर धनराशि निविदा के समय तथा शेष 5% धरोहर धनराशि अनुबन्ध गठन के समय देय होगी।
29. निर्माणकर्ता ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से छः माह एवं वर्षा ऋतु तक बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के अनुरक्षण की जिम्मेदारी होगी।
30. ठेकेदार द्वारा जमा की गयी 10 प्रतिशत जमानत धनराशि कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि से 06 माह या एक वर्षा ऋतु के बाद जो बाद में हो कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में वापस की जायेगी।
31. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0 383/36 2 2010 दिनॉक 26 फरवरी 2010 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में संलग्न एजेन्सी/ठेकेदार का पंजीयन श्रम विभाग में होना अनिवार्य होगा तथा प्राधिकृत निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर (सेस) धनराशि नियमानुसार कटौती की जायेगी।

(आर0 सी0 वर्मा)
उप निदेशक(निर्माण)
मण्डी परिषद बहराइच

पृष्ठांकनःदिनॉक -199 दि0 29-6-2011
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक (प्रशा0/विपणन)/सम्भागीय लेखाधिकारी मण्डी परिषद फैजाबाद।
5. जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बहराइच को सूचनार्थ।
7. सिस्टम मैनेजर मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त निविदा मण्डी परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
8. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद उ0प्र0।
9. सचिव/सभापति मण्डी समिति बहराइच।
10. समस्त अवर अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी/संगणक, मण्डी परिषद, बहराइच।
11. वांछित श्रेणी के समस्त पंजीकृत ठेकेदार मण्डी परिषद बहराइच।
12. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

29/06/11
उप निदेशक (निर्माण)